# कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश

चतुर्थ तल विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ–226001

संख्याः 237 / सी0ई0ओ0–2–                    लखनऊ                    दिनांकः 22 जनवरी, 2017

सेवा में,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः **विधान सभा निर्वाचन–2017 में पोलिंग स्टेशनों पर प्रदर्शित किये जाने वाले पोस्टरों हेतु दरों का निर्धारण।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में भारत निर्वाचन आयोग के संलग्न पत्र संख्या–464/INST/2016/2016-EPS दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 के निर्देशनुसार मतदान केन्द्रो पर मतदाताओं की सुविधा हेतु पोस्टर प्रदर्शित करने हेतु पोस्टर छपवाने के लिए रू0–7.50 पैसे (रूपये सात पैसे पचास) मात्र प्रति पोस्टर की अधिकतम दर निर्धारित की गयी है।

3– उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि संबंधित पोस्टरों का भुगतान पूर्णतया आश्वस्त होने पर तथा पूर्ण Verification के बाद सही पाये जाने पर सामान्य वित्तीय नियमों के अन्तर्गत भुगतान हेतु कार्यवाही की जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चय कर लिया जाय कि जिस कार्य हेतु पोस्टर मुद्रित कराये जा रहे हैं, वह वास्तव में यथास्थान लगाये गये हैं तथा अपेक्षित गुणवत्ता के है। उपरोक्त निर्धारित दरें अधिकतम अनुमन्य दरें हैं। यदि बाज़ार सर्वे के पश्चात उक्त निर्धारित दर से कम दर प्राप्त होती हैं तो कम दरों पर ही कार्य कराया जाय।

उपरोक्त निर्देशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(टी0 वेंकटेश)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

संख्याः 237 (1)सी0ई0ओ0–2–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकरी, उत्तर प्रदेश।
3– मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के समस्त अधिकारी / अनुभाग।
4– प्रभारी कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाइड पर अपलोड करने हेतु।

(रमेश चन्द्र राय)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकरी।

21.1.17
21/01/2017
जारी
22-1-17